न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 99/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 2. कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड जरिए सचिव कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही, प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 28.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 39 दिनांक 09.10.1984 मिसल संख्या 48 दिनांक 26.01.1983 वर्गफीट 81225 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को हस्तान्तरित करने से उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो का कोई हक व कब्जा नहीं होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो सचिव कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड की ओर से दिनांक 25.09.2025 को उपस्थिति दी जाकर जबाव पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। इसके उपरान्त अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत विक्रय विलेख संख्या 39 दिनांक 09.10.1984 क्षेत्रफल 81225 वर्गफीट का जारी किया गया था। यह कि राजस्थान सरकार के (कृषि) (ग्रुप–2) विभाग द्वारा जरिए पत्र क्रमांक प.13/14/कृषि/ग्रुप–2/93 जयपुर दिनांक 22.01.2003 द्वारा निदेशक, कृषि विपणन विभाग राजस्थान जयपुर को ग्रामीण हाट बाजारों को पंचायतो को हस्तांतरण करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी पालना में कृषि विपणन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा क्रमाक 2/ग्रा.हॉ.बा./निय./03/3780/8–17 जयपुर दिनांक 24.01.2003 द्वारा समस्त क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग को ग्रामीण हॉट बाजारों का स्थानान्तरण संबंधित पंचायतो को किये जाने के निर्देश की पालना में कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड जिला सिरोही द्वारा

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उपशासन सचिव राजस्थान सरकार जयपुर के आदेशों की पालना में कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड को जारी पट्टा संख्या 39 मिसल दायर संख्या 48 दिनांक 26.01.1983 को अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 398–99 दिनांक 06.08.2013 द्वारा पट्टा पुनः ग्राम पंचायत रोहिडा को हस्तान्तरित किया गया है। अतः पट्टा पुनः हस्तान्तरण होने से निरस्त योग्य हैं। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम से जारी विक्रय विलेख की सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या दो ने पुनः अप्रार्थी संख्या एक को हस्तांतरित करने से अब उक्त विक्रय विलेख पर अप्रार्थी संख्या दो का कोई हक या कब्जा नही हैं। जिससे जारी विक्रय विलेख निरस्त योग्य हैं। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपने पत्रांक 2024–25/180 दिनांक 22.08.2024 के द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त विक्रय विलेख की भूमि अप्रार्थी संख्या दो ने अपने पत्रांक 6085–90 दिनांक 14.03.2016 से ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की गई है, जिससे उक्त विक्रय विलेख को निरस्त करवाकर ग्राम पंचायत पंचायतीराज नियमो के परिप्रेक्ष्य में अन्य को भूमि आवंटित्त या विक्रय विलेख जारी कर सके। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी विक्रय विलेख संख्या 39 दिनांक 09.10.1984 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो सचिव कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह अंकित किया गया है कि राजस्थान कृषि (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांकः13(14) कृषि/ग्रुप–2/93 जयपुर दिनांक 22.01.2003 एवं कृषि विपणन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा अग्रेषित पत्र क्रमांकः प.2/ग्रामीण हॉट बाजार/नियमन/2003/37808–17 जयपुर दिनांक 24.01.2003 की अनुपालना में ग्राम पंचायत रोहिडा में हॉट बाजार हेतु भूमि पट्टा नम्बर 39 (मिसल दायर 48 दिनांक 26.01.1983 से) आवंटित की गई थी, उक्त भूमि को कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड के पत्र क्रमांक 398–99 दिनांक 06.08.2013 द्वारा श्रीमान् विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के माध्यम से सुपुर्द करते हुए यह लिखा गया था कि उक्त भूमि पर कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड का मालिकाना हक नहीं रहेगा। यह कि कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड़ के पत्र क्रमांकः 1085–90 दिनांक 14.03.2016 द्वारा पुनः उक्त पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. प्रेषित किए गए थे। कार्यालय, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा के पत्र क्रमांकः पसपि/पंचायत/2024/2894 दिनांक 26.09.2024 द्वारा सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड़ को यह निर्देश प्राप्त हुए थे कि मण्डी समिति के नाम से जारी पट्टे की मूल प्रति ग्राम पंचायत रोहिडा को उपलब्ध करावें, जिसकी अनुपालना में पत्रावली अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि पूर्व में पट्टे की फोटो प्रतियां ही प्रेषित की गई थी, मूल पट्टा पत्रावली में मौजूद था जिसे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 402–405 दिनांक 15.10.2024 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रोहिडा को दिनांक 15.10.2024 को ही सुपूर्द कर दिया गया। अतः राजस्थान कृषि (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांकः 13(14) कृषि/ग्रुप–2/93 जयपुर दिनांकः 22.01.2003 एवं कृषि विपणन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा अग्रेषित पत्र क्रमांकः प.2/ग्रामीण हॉट बाजार/नियमन/2003/37808–17 जयपुर दिनांक 24.01.2003 की अनुपालना में ग्राम पंचायत रोहिडा में हॉट बाजार हेतु भूमि पट्टा नम्बर 39 आवंटित की गई थी, उक्त भूमि को कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड के पत्र कमांकः 398–99 दिनांक 06.08.2013 द्वारा श्रीमान् विकास अधिकारी पिण्डवाडा के माध्यम से सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा को सुपूर्द कर दिए जाने के आधार पर उक्त पट्टे से कृषि उपज मण्डी समिति, आवूरोड़ का नाम हटाया जाता है तो कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड़ को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई एक पक्षीय बहस एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत, रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को पंचायत के प्रस्ताव संख्या 9/08.12.1983 के द्वारा पट्टा संख्या 39 दिनांक 09.10.1984 मिसल संख्या 48 दिनांक 26.01.1983 वर्गफीट 81225 जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में

न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा उक्त विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के हक में ग्रामीण हाट बाजार हेतु जारी किया गया था। तदुपरान्त राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांकःप.13(14) कृषि/ग्रुप–2/93 जयपुर दिनांक 22.01.2003 एवं कृषि विपणन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा अग्रेषित पत्र क्रमांकः प.2/ग्रा.हा.बा./निय./2003/37808–17 जयपुर दिनांक 24.01.2003 की अनुपालना में ग्राम पंचायत रोहिडा में हाट बाजार हेतु जो भूमि जरिए पट्टा संख्या 39 दिनांक 09.10.1984 के द्वारा आबंटित की गई थी, उक्त भूमि को सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड जिला सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 398–99 दिनांक 06.08.2013 द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के माध्यम से सुपुर्द करते हुए यह लिखा गया था कि उक्त भूमि को तत्काल प्रभाव से पुनः ग्राम पंचायत रोहिडा को हस्तान्तरण किया जाता है तथा भविष्य में भी उक्त भूमि पर-कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड का मालिकाना हक नहीं रहेगा। इसके पश्चात कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड़ द्वारा जरिए पत्र कमांकः 1085–90 दिनांक 14.03.2016 द्वारा पुनः रजिस्टर्ड पत्र सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा को प्रेषित किया गया था कि पट्टा संख्या 39 दिनांक 09.10.1984 की भूमि को कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड द्वारा पत्र क्रमांक 398–99 दिनांक 06.08.2013 के माध्यम से पुनः ग्राम पंचायत रोहिडा को हस्तान्तरित कर दिया गया है। अतः उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने से सम्बन्धित कार्यवाही ग्राम पंचायत के स्तर से किया जाना अपेक्षित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड जिला सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/2024–25/401–405 दिनांक 15.10.2024 के द्वारा मूल पट्टा ग्राम पंचायत रोहिडा को जमा करवा दिया गया है, जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को प्रेषित किए गए पत्र क्रमांक/2024–25/221 दिनांक 16.10.2024 के द्वारा की गई है। चूंकि कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड द्वारा अपने जबाव में भी यह अंकित किया गया है कि उनके द्वारा विवादित पट्टे को ग्राम पंचायत रोहिडा को सुपुर्द कर दिए जाने से उक्त पट्टे से कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड का नाम हटाया जाता है तो कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड को कोई आपत्ति नहीं है। अतः कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड द्वारा उक्त विवादित पट्टे को ग्राम पंचायत रोहिडा को सुपूर्द किए जाने से एवं उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड का कब्जा व हक अधिकार नहीं होने से उक्त विवादित पट्टे को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 09.10.1984 मिसल संख्या 48 दिनांक 26.01.1983 वर्गफीट 81225 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner